तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
13.03.2026	पत्रावली पेश हुई। प्रार्थीगण अधिवक्ता श्री हरिराम चौधरी उपस्थित। विप्रार्थी संख्या 1 के अधिवक्ता श्री बालाराम गोदारा उपस्थित। शेष विप्रार्थीगण के बावजूद तामीली अनुपस्थित रहने पर उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की जा चुकी है। प्रार्थीगण अधिवक्ता की प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए बहस है कि प्रार्थीगण विवादित भूमि के रिकार्डड खातेदार हैं और रिकार्डेड खातेदार अपनी खातेदारी भूमि की पक्की नेखमबन्दी करवाने के लिए स्वतंत्र है। जिसके प्रार्थीगण हकदार भी है। प्रार्थीगण एवं विप्रार्थीगण के मध्य सेढा पर पक्की माठें व सीमा चिन्ह नहीं होने से प्रार्थीगण अपनी भूमि पर काश्त करने से वंचित रह जाते है। अतः श्रीमानजी से निवेदन है कि स्थाई समाधान के लिए नेखमबंदी आदेश प्रदान किया जावें। विप्रार्थीगण अधिवक्ता द्वारा अपनी बहस में प्रार्थी अधिवक्ता की बहस के तथ्यों की ताईद करते हुए नेखमबंदी आदेश हेतु सहमति प्रदान की गई। हमने उभयपक्ष अधिवक्ता की बहस सुनी एवं पत्रावली का गंभीरतावूर्वक अवलोकन किया। प्रार्थीगण अपनी खातेदारी भूमि के रेकर्डेड खातेदार होने से अपनी आराजी की नेखमबंदी करवाने हेतु स्वतंत्र है। चूंकि प्रार्थीगण द्वारा अपनी भूमि की पक्की नेखमबंदी बाबत् आवेदन पेश किया गया है, जिसका प्रार्थीगण अधिकारी है। विप्रार्थीगण अधिवक्ता द्वारा भी प्रार्थी की नेखमबंदी हेतु सहमति प्रदान की गई है। प्रार्थीगण उक्त आराजी के रेकर्डेड खातेदार होने से अपनी खातेदारी की नेखमबंदी करवाने हेतु स्वतंत्र है तथा साथ ही यदि किसी पक्षकारान् को कोई उजर एतराज है तो वे नेखमबंदी पालना के दौरान अपना पक्ष रखने हेतु स्वतंत्र है। अतः उक्त स्थिति में प्रार्थीगण के आवेदन को स्वीकार किया जाकर नेखमबन्दी आदेश किये जाने में कोई आपत्ति प्रतीत नहीं होती है। लिहाजा प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर मौजा धूंधवालों की ढाणी, तहसील शिव में अवस्थित खातेदारी भूमि के खसरा नम्बर 172, 173, 455, 555/455 रकबा क्रमशः 0.0486, 1.1979, 4.2087, 5.4875 हैक्टेयर विवादित भूमि के संबंध में पूर्व में सीमाज्ञान की नियमानुसार कार्यवाही करें। सीमाज्ञान शुल्क प्रार्थीगण द्वारा नियमानुसार वहन किया जायेगा। तत्पश्चात कार्यवाही विवादित भूमि के चारों तरफ पक्के नेखम स्थापित करते हुए नेखमबन्दी करने हेतु **भू–अभिलेख निरीक्षक भींयाड़** को कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। उक्त कार्यवाही प्रार्थीगण एवं विप्रार्थीगण को पूर्व में जरीये नोटिस/पत्र से सूचित करते हुए एक निश्चित तारीख मुकर्रर कर की जावें। कमिश्नर शुल्क 500/– प्रार्थीगण मौके पर अदा करेगें। आवश्यकता होने पर **एस.एच.ओ. शिव** से पुलिस इमदाद प्राप्त करने हेतु अधिकृत किया जाता है। **भू–अभिले**[illegible] पालना, पालना प्रतिवेदन प्रेषित करें। तहरीर जारी हो। पत्रावली फैसल सुमार हो[illegible] Signature Not Verified Digitally signed by Yaksh Chaudhary Date: 2026.03.24 19:16:39 IST Reason: SelfAttested उपखण्ड अधिकारी शिव (बाड़मेर)	